



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102020-222239
CG-DL-E-05102020-222239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]
No. 398]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-836).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (छ) के साथ पठित धारा 61 के उप-खंड (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) विनियम, 2007 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली), 2007 में:-

(क) खंड (ग) के लिए विनियम 2 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम या अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम या विनियमों, जैसा मामला हो, में क्रमशः उन्हें दिया गया अर्थ होगा।"

(ख) खंड (1) के लिए विनियम 3 में, -

- (i) "अधिनियम के प्रावधान" शब्दों को "अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) तालिका में:
- क. तालिका के कॉलम (2) के शीर्षक "अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यकलाप" को "अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत कार्यकलाप" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख. क्र.सं. 10 के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"

क्र.सं.	अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत कार्यकलाप	शुल्क (रु.)
11.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के विनियम 8 के तहत प्राधिकार की मांग करने या विनियम 12 के तहत प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क: (क) समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ गैस विनियम के लिए; या (ख) समाशोधन कॉर्पोरेशन के बिना गैस विनियम के लिए; या (ग) समाशोधन कॉर्पोरेशन के लिए	3,00,000

"

(ग) विनियमन 4 में,

(i) खंड (2) के बाद, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के तहत समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ गैस विनियम करने, समाशोधन कॉर्पोरेशन के बिना गैस विनियम करने तथा समाशोधन कॉर्पोरेशन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकार की तारीख से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित वार्षिक अन्य प्रभार भुगतान करेंगे:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के विनियम 13 के तहत वार्षिक और अन्य प्रभार:	
	(क) समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ गैस विनियम के लिए; या (ख) समाशोधन कॉर्पोरेशन के बिना गैस विनियम के लिए; या	संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान विनियम (करों को छोड़कर) में व्यापार मूल्य का 0.02% या रु. 20,00,000, जो भी अधिक हो
	(ग) समाशोधन कॉर्पोरेशन के लिए	संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान समाशोधन कॉर्पोरेशन (करों को छोड़कर) में समाशोधन मूल्य का 0.02% या रु. 20,00,000, जो भी अधिक हो

स्पष्टीकरण:

- विनियम में व्यापार मूल्य को लेन-देन (या तो क्रय या विक्रय) के केवल एक भाग पर विचार करके निकाला जाएगा, न कि क्रय या विक्रय लेन-देन के मूल्य का योग करके निकाला जाएगा।
- समाशोधन कॉर्पोरेशन के मामले में समाशोधन मूल्य समाशोधित राशि अर्थात् प्राप्त राशि या वितरित की गई राशि होगी, न कि प्राप्त राशि और वितरित की गई राशि का योग होगी।

(ii) उप-विनियम (7) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) उप-विनियम (2) और उप-विनियम 3-6 के अनुसार अन्य प्रभार या विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई ऐसा भुगतान करने के सात दिनों के भीतर, इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में प्रेषित राशि का विवरण प्रस्तुत करेगी। कोई जो उप-नियम (2क) और उप-विनियम 3-6 के अनुसार अन्य प्रभार या विलंब भुगतान अधिभार करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा भुगतान करने के सात दिनों के भीतर इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-II में प्रेषित राशि का विवरण प्रस्तुत करेगी।"

(घ) प्रपत्र-I के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र-II को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"प्रपत्र-II

[दिखें विनियम 4(7)]

वित्तीय वर्ष 20_ के लिए विनियम 4 के उप-विनियम 2क के तहत निर्दिष्ट तालिका के अनुसार देय और भुगतान किए गए अन्य वार्षिक शुल्कों का विवरण

गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन का नाम				
गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन का पता				
प्राधिकार प्रदान करने का वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष	संगत वित्तीय वर्ष का व्यापार मूल्य या समाशोधन मूल्य	देय अन्य वार्षिक प्रभार	भुगतान किए गए अन्य वार्षिक प्रभार	भुगतान का तरीका
प्रेषित राशि का विवरण				
डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर सं. और तारीख या संदर्भ सं. और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की तारीख, बैंक और शाखा जिस पर देय है और राशि रुपये में।				

”.

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./259/2020-21]

फुट नोट : मूल विनियमों को जी.एस.आर. 732 (अ.), तारीख 26 नवंबर, 2007 द्वारा अधिसूचित किया गया था, और जी.एस.आर. 477(अ.) तारीख 7 जून, 2010, फा.सं. विधि/50/2013 तारीख 21 जून, 2013, फा.सं. पीएनजीआरबी/एफएंडसी/संशोधन पीएनजीआरबी विनियम तारीख 3 जनवरी, 2019 और फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 तारीख 13 मई, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2020

PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-836).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 61 read with clause (g) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely: —

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Second Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007:—

(a) in regulation 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:

“(c) All other words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or other regulations shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the other regulations, as the case may be.”;

(b) in regulation 3, in sub-regulation (1), -

(i) for the words “provisions of the Act”, the words “provisions of the Act or the regulations framed thereunder” shall be substituted;

(ii) in the table, --

(A) in Column (2), for the column heading “Activity under the provisions of the Act”, the column heading “Activity under the provisions of the Act or the regulations framed thereunder” shall be substituted;

(B) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

S. No.	Activity under the provisions of the Act or the regulations framed thereunder	Fee (Rs.)
“11.	Application fee for seeking authorisation under regulation 8 or renewal of authorisation under regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020: (a) for a Gas Exchange with Clearing Corporation; or (b) for a Gas Exchange without Clearing Corporation; or (c) for a Clearing Corporation	3,00,000

(c) in regulation 4, --

(i) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(2A) The following annual other charges specified in the Table, shall be payable by a gas exchange with clearing corporation, a gas exchange without clearing corporation and a clearing corporation for every financial year with effect from the date of authorisation granted to it by the Board under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020, namely:

TABLE

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Annual and other charges under regulation 13 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020:	
	a) for a Gas Exchange with Clearing Corporation; or b) for a Gas Exchange without clearing corporation; or	Rs. 20,00,000 or 0.02% of the trade value in the exchange (excluding taxes) during the relevant financial year, whichever is higher
	c) for a Clearing Corporation	Rs. 20,00,000 or 0.02% of the clearing value in the clearing corporation (excluding taxes) during the relevant financial year, whichever is higher
Explanation:		
1. The trade value in the exchange shall be worked out by considering only one part of the transaction (either to buy or to sell) and not the sum of value of buy and sell transaction.		
2. The clearing value in the case of clearing corporation shall be the amount cleared that is to say the amount received or the amount disbursed and not the sum of amount received and amount disbursed.		

(ii) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(7) Any entity liable to pay Other Charges or late payment surcharge in accordance with sub-regulation (2) and sub-regulations (3) to (6), shall submit details of remittance in Form-I attached to these regulations, within seven days of making such payment and any entity liable to pay Other Charges or late payment in accordance with sub-regulation 2A and sub-regulations (3) to (6), shall submit details of remittance in Form-II attached to these regulations, within seven days of making such payment.”;

(d) after Form - I, the following Form - II shall be inserted, namely:

“Form – II

[See regulation 4(7)]

Details of annual other charges payable and paid as per Table specified in sub-regulation (2A) of regulation 4 for the financial year 20__

Name of Gas Exchange or Clearing Corporation				
Address of the Gas Exchange or Clearing Corporation				
Financial year of grant of authorization or Financial Year	Trade Value or Clearing value of the relevant Financial year	Annual Other Charges payable	Annual Other Charges paid	Mode of payment
Details of remittance: Demand Draft or pay order No. and date or Ref No. and date of Electronic payment, Bank and branch at which payable and Amount in Rs.				

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./259/2020-21]

Foot Note : The Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 732 (E), dated 26th November, 2007 and amended *vide* G.S.R. 477(E), dated 7th June, 2010, F. No. Legal/50/2013 dated

21st June, 2013, F. No. PNGRB/F&C/Amendment PNGRB Regulations, dated 3rd January, 2019 and F. No. PNGRB/Fin./8-OC (1)/2018 dated 13th May, 2020.